Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 SHISRRJ | Volume 5 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

भारतीय समाज में अन्तर्निहित स्त्रियों की स्थिति, सामाजिक समस्याएं एवं उनके विविध अधिकार

कविता कनौजिया
असि0 प्रो. समाजशास्त्र विभाग, उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 5, Issue 5
Page Number : 78-85

Publication Issue :
September-October-2022

Article History
Accepted : 01 Sep 2022
Published : 10 Sep 2022

शोधसारांश–किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। स्त्रियों की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता रहा । जिससे स्त्रियों की स्थिति में में दिन–प्रतिदिन गिरावट आती गई। प्राचीन समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। किन्तु प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपक्षित हो रही हैं। भारतीय संविधान में पुरुषों एवं स्त्रियों को समान दर्जा अधिकार दिये जाने के बावजूद भी स्त्रियां विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से पुरुषों से काफी पीछे हैं। विडम्वना तो यह है, कि इतने सारे कानूनी प्रावधान होने के बावजूद देश में स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों में कमी होने के बजाय वृद्धि हो रही है। शिक्षा का विस्तार स्त्री के उत्थान में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसलिए जरुरी हो गया है, हर स्त्री को शिक्षा और सुरक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए।

मुख्य शब्द– भारतीय, समाज, अन्तर्निहित, स्त्रिय, समाजिक, विविध।

प्रस्तावना प्राचीन काल के भारतीय समाज में स्त्रियों का बहुत सम्मान किया जाता था, उन्हें देवी का दर्जा दिया गया था। स्त्रियों को पुरुषों के समान सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। परन्तु जैसे–जैसे समय बीतता गया, स्त्रियों की स्थिति में भीषण बदलाव आया। स्त्रियों के प्रति लोगों की सोच बदलने लगी। पर्दा–प्रथा, सती–प्रथा, दहेज–प्रथा, बहु–विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि मामले उजागर होने लगे। स्त्रियों की स्थिति को देखते हुए अनेकों समाज सुधारकों ने इस दिशा में काम किया, जिससे कुछ हद तक स्त्रियों की स्थिति पर काबू पाया जा सका। उसके बाद भारतीय स्वरूप स्त्रियों की भागीदारी शिक्षा से लेकर सुरक्षा क्षेत्र में होने लगी है। इसके बावजूद अभी भी नारी शक्ति की जगह भोग्या बनी हुई है। बलात्कार जैसी विकट समस्याएँ रोज हो रही हैं, जिसके कारण सरकार ने एन्टी–रोमियों अभियान चलाया।

प्राचीन युग से ही हमारे समाज में स्त्रियों का विशेष स्थान रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में स्त्रियों को पुज्यनीय एवं देवी तुल्य माना गया है। उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करने की आजादी थी। ऋग्वेद और उपनिषद गार्गी, अवाला, घोषा मैत्री जैसी कई महिला विदुषियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल के आदि ग्रन्थों में कहा गया है।

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तत्र देवता''

अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ दैवीय शक्तियाँ वास करती है, देवतागण वहाँ रमण करते हैं। नारी के बिना सृष्टि अधूरी है। पुरुष और स्त्री मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से अलग नहीं समझा जाता था। स्त्रियां प्रत्येक कार्य को करने के लिए स्वतन्त्र थी, वो अपने

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

मनोनुकुल आत्मविष्वास और उत्थान कर सकती थी। प्राचीन युग में लोगों की यह धारणा रही है, कि देव 'षक्तियां वही पर निवास करती है, जहाँ पर समस्त नारी जाती को प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कोई भी परिवार, सम्मान अथवा राष्ट्र तब तक वह नारी के प्रति भेदभाव, निराक्षर अथवा हीन भावना का त्याग नहीं करता है।

जयशंकर प्रसाद जी ने स्त्रियों के महत्व का बोध समाज को इन पंक्तियों से कराया–

''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत–नग पग तल में पीयूष–स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में''

भारतीय समाज में स्त्रियों का सम्मान और आदर प्राचीन काल में आदर्शात्मक और मर्यादायुक्त था। स्त्रियों को समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, स्त्रियां अपने विधि सम्मत नियमों में गुम्फित होकर समाज में जीवन–निर्वाह करती थी। उन्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्रियों के कुछ विधिक अधिकार भी थे। जैसे–सम्पत्ति का अधिकार, यदि पति तलाक देता है, तो गुजारा भत्ता प्राप्त करने का विधिक अधिकार था। स्त्रियों को यज्ञ शास्त्रार्थ में शिक्षा जगत में पूर्ण अधिकार था। गार्गी जैसी विदुषी स्त्रियों ने याज्ञवलय ऋषि के साथ शास्त्रार्थ किया था। कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में और माँ के रूप में स्त्रियां प्राचीन भारतीय समाज में प्रतिष्ठित । अर्थात् स्त्रियों के सर्वत्र रूप का सम्मान किया जाता था। भारतीय धर्मशास्त्र में नारी सर्वशक्ति संपन्न मानी जाती है। प्राचीन काल में स्त्रियों के लिए कोई भी स्थान वर्जित नहीं था। वे युद्धभूमि में पुरुषों के समान रण कौशल दिखाया करती थी। सीता, सति–शावित्री, अनसूया, मैत्री आदि अगणित भारतीय स्त्रियों ने अपना विशिष्ट स्थान सिद्ध किया है।

कॉम्ट ने समाज में स्त्रियों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। कॉम्ट के अनुसार – सहानुभूति एवं सामाजिकता जो मानवता के धर्म के आधारभूत एवं सामाजिकता जो मानवता के धर्म के आधारभूत सिद्धान्त है का स्त्रियों में स्वतः जन्म होता है, और इस दृष्टि से स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान दिया गया है।

वेदों में महिलाओं की स्थिति –

प्राचीन भारतीय समाज की संस्कृति के वेदों में भारतीय स्त्रियों की स्थिति का वर्णन इस प्रकार है–

ऋग्वेद –

इस वेद में स्त्रियों के बारे में यह बताया गया है, कि नववध, गृह की सामग्री होती थी, वह पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग करती थी। स्त्री और पुरुष (पति–पत्नी) दोनों को यज्ञ में उपस्थिति अनिवार्य थी। शिक्षा के क्षेत्र में उसका स्थान पुरुषों के समान था, ऐसी भी स्त्रियां थी, जो जीवनपर्यन्त विद्या अध्ययन में लगी रहती थी और वे ब्रह्मवादिनी कही जाती थी। निर्मल मन वाली स्त्री जिसका मन परिशुद्ध जल की छः वेदांगों यथा–शिक्षा कल्प, व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद को प्राप्त करे और इस ज्ञान को अन्यों को भी प्रदान करें।

अथर्ववेद –

इस वेद में स्त्रियों के बारे में बताया गया है, कि स्त्रियों को शुद्ध, पवित्र और यज्ञ समान पूजनीय माना है। यह स्त्रियां शुद्ध स्वभाव वाली पवित्र आचरण वाली, अच्छे चरित्र वाली होती है। कन्याओं के लिए भी ब्रह्मचर्य और विद्या गृहण करने के बाद ही विवाह करने के लिए कहा गया है, यह वेद लड़कों के समान ही कन्याओं की शिक्षा को भी विशेष महत्व देता है।

यजुर्वेद –

स्त्रियों की भी सेना हो, स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें,

स्त्री और पुरुष दोनों को शासन चुने जाने का समान अधिकार है। शासकों की स्त्रियां अन्यों को राजनीति की शिक्षा दे। जैसे– राजा लोगों का न्याय करते हैं। वैसे रानी भी न्याय करने वाली हो। भारतीय समाज में पवित्र माने जाने वाले वेदों में स्त्रियों को एक पवित्र स्थान प्रदान किया पत्नी के बिना यज्ञ को अधूरा कहा गया, पुरुष के समान स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया अर्थात बिना पत्नी के पति द्वारा किया गया कार्य अधूरा कहा जाता था। प्राचीन भारतीय समाज स्त्रियों के लिए स्वर्णयुग के समान था। स्त्री–पुरुष में भेद–भाव जैसी कोई भी भावना नहीं थी।

कालांतर में देश पर हुए अनेक आक्रमणों के पश्चात भारतीय स्त्रियों की दशा में भी परिवर्तन आने लगे। स्त्री की समाज स्त्रियों के लिए स्वर्णयुग के समान था। स्त्री–पुरुष में भेद–भाव जैसी कोई भी भावना नहीं थी।

कालांतर में देश पर हुए अनेक आक्रमणों के पश्चात भारतीय स्त्रियों की दशा में भी परिवर्तन आने लगे। स्त्री की समाज में स्थिति क्षीण होती चली गयी। अंग्रेजो शासनकाल के आते–आते भारतीय स्त्रियों की दशा अत्यन्त चिन्तनीय हो गयी। दिन–प्रतिदिन उसे नीचता उपेक्षा एवं तिरस्कार का सामना करन पड़ा। स्त्रियों की दशा में युग के अनुरुप परिवर्तन होता रहा है।

वैदिक युग –

वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति उनकी शिक्षा, संपत्ति आदि पुरुषों के समान थी। इस युग में मैत्रेयी, गार्गी और अनुसूया नामक विदुषी स्त्रियां शास्त्रार्थ में पारगत थी।

महाभारत के कथनानुसार –

वह घर घर नहीं जिस घर में सुशिक्षित, सुसंस्कृत पत्नी न हो। गृहिणी विहीन घर जंगल के समान माना जाता था और उसे पति की तरह ही सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। दम्पत्ति घर के संयुक्त अधिकारी होते थे।

समाजशास्त्र के जन्मदाता आगस्त कॉम्ट ने स्त्रियों की स्थिति का इस प्रकार वर्णन किया –

स्त्रियों की उन्नति का अभिप्राय परिवार एवं समाज की उन्नति है। समाज की उन्नति का अभिप्राय समस्त मानवता की उन्नति है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्त्रियों को सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत करना तथा आर्थिक–दृष्टि से सम्पन्न करना आवश्यक है।

उत्तर वदिक युग –

उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की प्रतिभा, शक्ति व स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगने लगे। धीरे–धीरे वैदिक कर्मकाण्डों की जटिलता के कारण याज्ञिक कायों में शुद्धता और पवित्रता के नाम पर स्त्रियों को इससे अलग किया जाने लगा, अन्तर्जतीय विवाह का प्रचयलन भी बढ़ गया था। बाल–विवाह होने जिससे स्त्रियों की शिक्षा में बाधा पहुँची। बहुपत्नी प्रथा प्रचलन हो गया।

स्मृति युग –

स्मृति–काल तक आते–आते स्त्रियों की स्थिति और निम्न व दयनीय हो गयी। बाल–विवाह और बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन और बढ़ गया। स्त्रियों के समस्त अधिकारां का हनन हो गया। स्त्रियों का कर्तव्य पति की सेवा करना था।

मनु ने कहा है, कि पुत्री पिता के, पत्नी पति के, माँ पुत्र के संरक्षण में रहें। स्त्री के साथ पुरुष को भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्रियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लग गये, जन्म से मृत्यु तक उन्हें पुरुषों के नियंत्रण में रहना पड़ता है।

कॉम्ट के अनुसार –

परिवार में उत्थान का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम स्त्रियों पर आता है। समाज का नैतिक निर्देशन यदि कोई दे सकता है, तो वे स्त्रियां ही होती है। स्त्रियों का यह कार्य तीन रुपों हैं, जैसे–माता, पत्नी एवं पुत्री।

मध्य कालीन युग –

स्त्रियों का क्षेत्र सार्वजनिक व राजनीतिक न होकर परिवार है, और इसकी सीमा में उन्हें कार्य करने का आदर्श रखना चाहिए।

समाज की घ्रणित विचारधारा ने उनके सारे अधिकार छीन लिए। शिक्षा प्राप्ति से वंचित कर घर का काम–काज करने आदेश दिया गया। स्त्रियों का परम कर्तव्य पति जैसा भी हो उनकी सेवा करना था।

मार्क्स का कहना है–

स्त्री का कोई वर्ग नहीं होता, अर्थात स्त्री वर्गविहीन है। स्त्री ही नहीं बल्कि विश्व की आधी आबादी वर्ग विहीन है स्त्री किस वर्ग की है, इसका निर्णय पुरुष के वर्ग से होता है।

दहेज, बाल–विवाह व सती प्रथा आदि इन्हीं कुरीतियों की देन है। स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया था। परन्तु इस शब्द की पुष्टि तो सिर्फ प्राचीन समाज में हुई, आधुनिक समाज या मध्यकालीन युग में तो यह शब्द बनकर ही रह गया है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति दयनीय बन गयी। यह युग स्त्रियों के सम्मान, विकास और सशक्तिकरण का अंधकार युग था। इस्लामी आक्रमण और शासकों की विलासिता पूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की बस्तु बना दिया। महिलाओं के निजी और सामाजिक जीवन को कलुषिता कर दिया गया। आज समाज में जो बलात्कार जैसी घृणित घटनाएँ होती हैं, वह मध्यकाल के इसी अंधकार युग की देन है, शक्ति स्वरूपा नारी अवला बनकर रह गयी।

मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है–

''अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है, दूध और आँखों में पानी।।''

असमोन दी बुआ का कथन है –

नारी जन्मती नहीं बनायी जाती है, अर्थात् नारी पर जबरदस्ती की वस्तुएं थोपकर उन्हें नारी बनाया जाता है। नारी को प्रकृति के रूप में और पुरुष को संस्कृत के रूप में विचित्र किया जाता है। नारी की इस गिरी हुई हीन स्थिति के लिए पितृसत्तात्मकता की प्रथा उत्तरदायी है, अर्थात् भारतीय समाज में परिवार की बागडोर पुरुषों के अधीन थी, स्त्रियां मात्र पुरुषों की सेवा करने वाली दासियां मात्र बन कर रह गयी। जिससे उनकी स्थिति दिन–प्रतिदिन क्षीण होती चली गयी।

आधुनिक युग –

आधुनिक काल में साहित्यकारों तथा समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दयनीय स्थिति को सुधारने के अनकों प्रयास किए। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, बाल–विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई। राजा–राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराने के लिए संघर्ष किया। अन्य साहित्यकारों ने स्त्री की ममता वात्सल्य तथा राष्ट्र के निर्माण

में योगदान देने वाले गुणों के महत्व को समाज को समझाया। अनेक धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों जैसे ब्रह्म समाज (राजा राम मोहन राय) थियोसोफिकल–सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन (स्वामी विवेकानंद) आर्यसमाज (स्वामी दयानंद सरस्वती) स्त्री शिक्षा (ईश्वरचंद्र विद्यासागर), दलित–स्त्रियों की शिक्षा (महात्मा त्योतिबा फुले सावित्रीबाई) आदि ने अंग्रेजी सरकार की सहायता से महिलाओं के हित में सती प्रथा का उन्मूलन, 1829 (लार्ड विलियम बैंटिक) सहित कोई कानूनी प्रावधान पास करवाने में सफलता हासिल की।

स्त्रियों ने अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए बहुतायत संघर्ष अर्थात प्रयास किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री की दशा में बदलाव आया। भारतीय संविधान के अनुसार उसे पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हुए। स्त्री शिक्षा पर बल देने के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था हुई। विभिन्न देशों मं स्त्रियों ने अपने समाज में मौजूद पितृसत्ता में कर्ता को दूर करने के लिए भी संघर्षरत रही। जिसके परिणामस्वरूप ही वे कुछ अधिकार भी हासिल कर पायी। औद्योगिक क्रान्ति के बाद यूरोपीय समाज में उदारवादी विचार विकसित हुए। इन विचारों से प्रभावित होकर महिलाओं की स्वतंत्रता तथा महिलाओं के सम्पत्ति अधिकार को लेकर कई तरह की विचार धाराओं का उदय हुआ।

मिल का मानना है, कि महिलाओं को स्वतंत्रता होने के लिए जरूरी है, कि उसके पास सम्पत्ति हो।

मिल के अनुसार –

''प्राचीन काल में बहुत से स्त्री–पुरुष दास थे, फिर दास प्रथा धीरे–धीरे समाप्त हो गयी। लेकिन स्त्रियों की दासता धीरे–धीरे एक किस्म की निर्भरता में बदल गयी।

स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने व उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए एवं स्त्रियों को आर्थिक रू‍प से सवल बनाने के उद्देश्य से अनेकों प्रत्यन किए गए–

– 1975 में सारे विश्व में ''अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। 8 मार्च 1992 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब प्रत्येक वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।

– 2 अक्टूबर 1993 से महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गयी।

– वर्ष 2001 को 'महिला अधिकारिता वर्ष' के रूप में मनाया गया।

– 'वालिका समृद्धि योजना' की शुरूआत 2 अक्टूबर 1997 को हुई थी।

– महिलाओं के उत्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सन् 1929 में बाल–विवाह निरोधक अधिनियम द्वारा बाल–विवाह का कानूनी रूप से अंत कर दिया गया, अब कोई भी माता–पिता लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं कर सकता।

आजादी के बाद के वर्षों में महिलाओं के लिए समान अधिकार (अनुच्छेद–14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद–15) अवसरों की समानता (अनुच्छेद–16) अपमान जनक प्रथाओं के परित्याग के लिए (अनुच्छेद–15 (a),(b)) प्रसूति सहायतः के लिए (अनुच्छेद–42) जैसे अनेकों प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए आन्दोलनों में उनकी निम्न स्थिति के बदलने के लिए शिक्षा भी उक्त कारक है। शिक्षा ही वह उपकरण है। जिससे स्त्रियां समाज में सशक्त सम्मानजनक एवं पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त कर सकती हैं।

उत्तर वैदिक काल से ही स्त्रियों की प्रतिष्ठा एवं अधिकारों में गिरावट के संकेत मिलते हैं अर्थात इस काल से ही स्त्रियों की महत्त्वा कम होती चली गयी। वैतरीय संहिता में भी स्त्रियों को निम्न स्तर का शुद्र से नीचा बनाकर स्त्रियों के अधिकारों में हनन हुआ। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, किन्तु उत्तर वैदिक काल नारी के अधिकरों में ह्रास होने का उल्लेख करता है। पुरुष अनेक विवाह करत हुए नारी के अधिकारों में हनन के संकेत

मिलते हैं। किसी भी नारी का चित्रांकन–विलोकन करे तो पाते हैं, कि प्राचीन काल में पर्दा प्रथा नहीं थी जैसे– कि दुर्गा, पार्वती, सरस्वती आदि नारियां जिनका स्वरूप देखने पर स्पष्ट हो जाता है, पर्दा प्रथा नहीं थी जैसे– कि दुर्गा, पार्वती, सरस्वती आदि नारियां जिनका स्वरूप देखने पर स्पष्ट हो जाता ह, पर्दा प्रथा का लेश मात्र भी स्थान नहीं था, बल्कि स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्मान प्राप्त होता था। भारतीय समाज में मध्यकाल में स्त्रियों को एक चल सम्पत्ति माना जाने लगा। बाल्यकाल में वह पितृग्रह में पिता के कार्यों में सहयोग करना होता था। स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है, वह प्रत्येक परिस्थिति में पति की सेवा करे और पति के आधीन रहे। विवाह–विच्छेद होने पर उसे पुरुषों की अपेक्षा अल्पल्य अधिकार प्राप्त था। प्राचीन समाज में स्त्रियों को विवाह–विच्छेद का अधिकार प्राप्त था। प्राचीन समाज में था। सामाजिक व्यवस्थाकार स्त्रियों की एक तरफ तो सीमित अधिकारों की वकालत करते तो दूसरी ओर उनके भरण–पोषण की पर्याप्त व्यवस्था करते हैं।

आचार्य गौतम कहते हैं, कि–

स्त्री का सतीत्व नष्ट हो जाने पर भी पति को उसके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए।

समाज में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यह कभी सत्य नहीं हुआ। देवी मात्र एक दिखावा भरा शब्द है, स्त्रियों के लिए जिसकी उपयोगिता सिर्फ कन्या भोज के समय ही दिखती है।

समाजशास्त्री अफलातून ने कहा है, कि ''समाज में नारी का स्थान व महत्त्व क्या है, वही जो पुरुष का है, न कम औसतन अधिक। स्त्री और पुरुष दोनों एक रथ के पहियों के समान है, यदि एक कमजोर या घटिया हुआ तो समाज का रथ निर्विकार रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। स्त्रियों की स्थिति में प्राचीन काल से काफी उतार–चढ़ाव दिखाई देते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारत में स्त्रियों की स्थिति परिवर्तन शील रही है। स्त्रियां आज भी सुरक्षित नहीं। स्त्रियों के आत्म सम्मान की रक्षा कैसे हो, समाज आज भी स्त्रियों को सम्मान देने के संबंध में अशिक्षित ही रह गया। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों ने भी अपने उदारवादी सिद्धांतों से महिलाओं को परे ही रखा। इन्होंने स्त्रियों को पूर्ण नागरिक नहीं माना। हॉब्स और लॉक ने स्त्री को कुछ अधिकार तो दिये परंतु उनको उनको पुरुषों के अधीन रखा। रूसों का विश्वास था, कि स्त्री में राजनीतिक क्षेत्र में नीति–निर्धारण जैसे कार्यों की योग्यता नहीं होती है। धर्मशास्त्रों ने स्त्रियों से एनके विवाह संबंधी निर्णय को छीनने के अलावा उन्हें शूद्र और सम्पत्ति के साथ वर्गीकृत किया धर्मशास्त्रीय प्रबंध स्त्री को उसके शारीरिक, सामाजिक आर्थिक अधिकारों से वंचित करता है। और उसे पुरुष के आधीन बनाता है।

स्वभाव एवं नारीणां नरणामहिदूषणम्।
अतोऽथन्नि प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः।।

स्त्रियां स्वभाव से ही पुरुषों को दूषित करने वाली होती है। यहाँ पूरी स्त्री जाति को समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

महिलाओं के पति हिंसा व अपराध कोई आज के युग की घटना नहीं है, वरन् प्राचीन भारत में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रोपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। रामायण काल में रावण ने सीता का अपहरण किया था। विद्यवाओं को भारत में अनेक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा तथा कई तरह के कष्ट दिये जाते रहे हैं। हम आए दिन पत्र–पत्रिकाओं में बलात्कार की घटनाएं पढ़ते रहते हैं। जिनमें से कुछ में तो पुलिस प्रशासन भी शामिल होता है। आज वे वर्षों पूर्व स्वामी विवेकानन्द

जी ने भारत की स्त्रियों के विषय में चिन्ता प्रकट की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में दो बड़ी बुरी बात है, स्त्रियों का तिरस्कार और गरीबों को जाति भेद द्वारा पीसना। स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुए बिना संसार का कल्याण नहीं हो सकता है।

विवेकानन्द का कहना है, – वह देश और राष्ट्र जिसने स्त्रियों का आदर नहीं किया कभी भी महान नहीं बन सका और न ही भविष्य में बन पाएगा।

भारतीय समाज प्राचीन काल से आज तक पुरुष प्रधान ही रहा है। भारतीय समाज की प्रारंभ से ही यह विडम्बना रही है। कि कभी भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समानता नहीं दी गयी। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैषणिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। पितृ प्रधान समाज में वह बचपन की अवस्था में पिता की गुलामी, यौवनावस्था में पति की गुलामी और वृद्धावस्था में पुत्र की गुलामी करने के लिए बाह्य की गयी।

सन 1963 के वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुए, पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने भी इस तथ्य को दोहराया कि लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है। परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। स्त्रियों की शिक्षा पर बल देते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) के ये शब्द भी ध्यान दने योग्य हैं–

''शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो, तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा स्वयं एवं अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी।

3. निष्कर्ष – किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। स्त्रियों की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता रहा । जिससे स्त्रियों की स्थिति में में दिन–प्रतिदिन गिरावट आती गई। प्राचीन समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। किन्तु प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित हो रही हैं। भारतीय संविधान में पुरुषों एवं स्त्रियों को समान दर्जा अधिकार दिये जाने के बावजूद भी स्त्रियां विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से पुरुषों से काफी पीछे हैं। विडम्वना तो यह है, कि इतने सारे कानूनी प्रावधान होने के बावजूद देश में स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों में कमी होने के बजाय वृद्धि हो रही है। शिक्षा का विस्तार स्त्री के उत्थान में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसलिए जरुरी हो गया है, हर स्त्री को शिक्षा और सुरक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए।

4. सन्दर्भ –

1- Society in India Structure and change/ Rajeev's Sahitya Bhawan SBPD Publication D Ravindra Nath Mukherji Dr. Bharat Agrawal Page no. 62, 63 Writer
2- Pariksha vari A.K. Tiwari, Boadhik Prakashan, Sampadak Shiv Kumar Ojha Allahabad Page no. 237, 238
3. www.gkexams.com
4. www.ugc.ac.in
5. www.hindikiduniya.com

6. https://sites.google.com.
7.